

राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में अनुसंधान/अध्ययन कार्य करने तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के बाहर वन्य प्राणियों पर अनुसंधान/अध्ययन कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निम्नांकित सूचनाओं के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाये ।

1.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी का नाम मय आई.डी. प्रूफ की प्रमाणित फोटो प्रति
2.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी की शैक्षणिक योग्यता
3.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी के पिता का नाम
4.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी के घर का पूर्ण पता मय मोबाईल नं० व ई-मेल पता
5.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी के कॉलेज/ संस्था का नाम
6.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी के साथ संरक्षित क्षेत्र में रहने वाले सहयोगियों की संख्या/ नाम/ पंहचान प्रमाण ।
7.	अनुसंधान/अध्ययन का पूर्ण विषय
8.	अनुसंधान/अध्ययन कार्य करने की प्रक्रिया/ विधि/ कार्यप्रणाली मय रूपरेखा व समयावधि
9.	अनुसंधान/अध्ययन कार्य करने का स्थान (राष्ट्रीय <u>उद्यान/अभयारण्य/ संरक्षित</u> क्षेत्र का नाम)
10.	जिस वन्य प्राणी पर अनुसंधान/ अध्ययन कार्य किया जाना है उसका नाम व वन्यजीव (सुरक्षा अधिनियम- 1972 के अनुसार उनकी अनुसूची संख्या/क्रम संख्या ।
11.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी द्वारा संरक्षित क्षेत्र में अध्ययन के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले वाहन/ उपकरण का विवरण ।
12.	अध्ययनकर्ता/शोधार्थी द्वारा पूर्व में किये गये अनुसंधान/अध्ययन कार्यों का पूर्ण ब्यौरा ।
13.	अनुसंधान/अध्ययन कार्य करने का उद्देश्य
14.	प्रस्तावित अनुसंधान/अध्ययन कार्य से वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन हेतु उपयोगिता ।
15.	कोर्डिनेटर का नाम व पूर्ण पता
16.	कोर्डिनेटर द्वारा पूर्व में किये गये अनुसंधान/ अध्ययन कार्यों का विवरण ।

नोट:-1. उक्त सभी सूचनाओं व पत्रादी के साथ आवेदन पत्र कॉलेज/संस्था द्वारा अपनी अनुशंषा के साथ अनुमति हेतु मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान,जयपुर को लगभग एक माह पूर्व प्रेषित करना आवश्यक है ।

2. अनुसंधान/अध्ययन के दौरान किसी भी वन्य प्राणी का Urine/ Blood/ Tissue/ Hair/ Serum इत्यादी के सैम्पल (Invasive Method) एकत्रित करने है तो इसके लिये अनुसूची-I के वन्य प्राणियों के लिये भारत सरकार एवं अनुसूची-II से IV तक के वन्य प्राणियों के लिये राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में फिल्मांकन कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निम्नांकित सूचनाओं के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाये ।
(प्रोफेशनल व्यक्तियों / फर्मों / कम्पनियों के लिये)

1.	फिल्मांकन/फोटोग्राफी कर्ता फर्म / आवेदक का नाम
2.	फिल्मांकन/फोटोग्राफी कर्ता फर्म व आवेदक का पूर्ण पता मय मोबाईल नं० व ई-मेल पता
3.	फिल्मांकन/फोटोग्राफी किये जाने वाले संरक्षित क्षेत्र का नाम
4.	फिल्मांकन/फोटोग्राफी का टाईटल
5.	फिल्मांकन/फोटोग्राफी की संक्षिप्त स्क्रिप्ट
6.	फिल्म में भाग लेने वाले क्रयू सदस्यों की सूची मय पूर्ण पता व आई.डी. प्रूफ
7.	फिल्मांकन की निश्चित तिथिया / अवधि
8.	फिल्मांकन का उद्देश्य
9.	फिल्मांकन कार्य की अनुमति हेतु उक्त फर्म की ओर से यदि स्थानीय व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है तो फर्म का ओथराईजेन पत्र मय आई.डी.प्रूफ
10.	फिल्मांकन/फोटोग्राफी के दौरान संरक्षित क्षेत्र में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन/कैमरें व अन्य उपकरण का विवरण ।

- नोट:- 1. उक्त सभी सूचनाओं व पत्रादी के साथ आवेदन पत्र फर्म के लेटर हैड पर अनुमति हेतु मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान,जयपुर को लगभग 1 माह पूर्व प्रेषित करना आवश्यक है ।
2. फिल्मांकन कार्य यदि विदेशी कम्पनी/व्यक्ति द्वारा किया जाना है तथा विदेशी चैनलों पर फिल्म का प्रसारण किया जाना है, तो विदेश मंत्रालय/वन मंत्रालय, भारत सरकार की सक्षम स्वीकृति संलग्न करना आवश्यक होगा ।
3. संरक्षित क्षेत्रों में स्थित पुरातत्व स्मारको/भवनो/किलो/महलों में फिल्मांकन/फोटोग्राफी हेतु सम्बन्धित विभागों के अलावा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान, जयपुर से भी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ।

Proforma for submission of application for Research/Study work inside and outside the National Parks and Wildlife sanctuaries

S.No.	Details
1	Name of the Scholar/Researcher with a copy of ID proof
2	Educational qualification of the Scholar/Researcher
3	Father's name of Scholar/Researcher
4	Permanent Address of Scholar
5	Name of the Institution of Scholar/Researcher
6	Name, number and ID proof of the Collage's/assistants who will visit the Protected areas
7	Subjects of the Research/Study
8	Method/Procedure/Work Plan/strategy and time period for the Study
9	Name of the Protected area where study/research is to be conducted
10	Name of the wild animals for research/study and number in Schedule as per Wildlife(Protection) Act, 1972
11	Number and Type of vehicles/equipments to be used in the study/research work by Scholar
12	Details of Research/study undertaken by the applicant
13	Object of the research/study
14	Utility of the research/study to the Forest and Wildlife management by the research/study work
15	Name and address of the Coordinator
16	Research/Study work undertaken by the Coordinator previously

Note:

1. The application for the research/study must be submitted to the CWLW one month in advance along with all above information/documents with consent and endorsement by the Collage/Institution.
2. If the Research/study involves taking samples(Invasive method) of Urine/Blood/Tissue/hair/Serum then permission from the State Govt. is required for wild animals listed in Schedule II to IV of the Wildlife(Protection)Act, 1972 and permission is required from GOI for Schedule I animals.

**Performa for submission of application for Filming inside the National
Parks and Wildlife sanctuaries
(Professional Photographer)**

S.no	Details	
1	Name of the Firm/ Applicant for Filming / Photography	
2	Permanent address of Firm/ Applicant for Filming / Photography with Mobile number and e-mail address	
3	Name of the protected area where Filming / Photography is to be done	
4	Title of Filming / Photography	
5	Brief script of Filming / Photography	
6	Name , number and ID proof of the crew / assistants who will visit the Protected area	
7	Specific Dates and period of Filming / Photography	
8	Object of Filming / Photography	
9	Authorization of the firm/ applicant if the application is being submitted by the local person for Filming / Photography	
10	Number and type of vehicles/ equipment's to be used in the Filming / Photography	

Note:

1. The application for the Filming / Photography must be submitted on the letter head of the Firm to the **Addl.Pr. Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden, Rajasthan, Jaipur. (aryan Bhawan Jhalana Doongri,Jaipur, Rajasthan)** one month in advance alongwith all above information / documents.
2. Permission of the Ministry of Foreign Affairs/ Forest Ministry will be required if the shooting of the film is being done by a Foreign firm/ Person and will be shown on foreign channels/ TV.
3. In case of the shooting/ filming in the Forts/ Palaces/ Archeological buildings situated in the protected areas, permission of CWLW will be required in addition to concerned departments . **mail address - cwlw.raj@gmail.com**